

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम महेन्द्र वगै०
किस्म मुकदमा- भू० राजस्व अधि० 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-01 सन्-2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-01 / 2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
07.02.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम पाखर-2 भूमि ख०न० 304 कुल अतिक्रमित रकबा 0.06 है० राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै०मु०रास्ते पर गैर सायलान महेन्द्र पुत्र रामसिंह एवं मानसिंह पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी पाखर-2 द्वारा फसल काश्त (सरसों) कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायलान को राजस्थान भू०-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायलान न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ एवं अतिक्रमण किया जाना स्वीकार कर अतिक्रमण को हटाया जाना भी स्वीकार किया। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायलान को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 2.64 रुपये का 50 गुणा 132 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, वसूली एवं फसल नीलामी हेतु आई०एल०आर०/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

रा० ल० स० 4 वर्ष-22-23 की
रा० स०-6 पर-132 रु
कायम की गई।

तहसील राजस्व लखाका

नायब तहसीलदार
तहसील मण्डावर (दौसा)

